कम्प्यूटर-परिपत्र-सं0- 1415060 दिनांक 28/7/14

पत्र सं0-सचलदल-विशिष्ट संचरण नम्बर निर्देश-2014-15/ 929 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर

(सचल दल-अनुभाग)

उत्तर प्रदेश

लखनऊ :दिनांक 28 जुलाई , 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

आप अवगत हैं कि प्रान्त में प्रान्त के बाहर से आयात किये जा रहे माल के संबंध में व्यवधान रहित मूवमेन्ट (Hassle Fee Movement) तथा ऐसे माल के संबंध में हो रहे कर अपवंचना की रोकथाम को सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से " ई-संचरण " की व्यवस्था वैकल्पिक रुप में दिनांक 01.12.2013 से लागू की गयी है। "ई-संचरण" की व्यवस्था हेतु मुख्यालय के निम्नलिखित परिपत्र निर्गत किये गये हैं :-

(1) पत्र सं0-सचलदल-विशिष्ट संचरण नम्बर निर्देश-2013-14/ 1584/ वाणिज्य कर दिनांक 04.10.2013, कम्प्यूटर परिपत्र संख्या 1314057 दिनांक 07.10.2013

(2) पत्र सं0- विधि-1(1)-अग्रिम जमानत रिफाइन्ड आयल/वनस्पति घी-2013-14/145/वाणिज्य करदिनांक 17.10.2013

(3) पत्र सं0-सचलदल-विशिष्ट संचरण नम्बर निर्देश-2013-14/ 1727/ वाणिज्य कर दिनांक 25.10.2013 , कम्प्यूटर परिपत्र संख्या 1314069 दिनांक 28.10.2013

(4) पत्र सं0-सचलदल-विशिष्ट संचरण नम्बर निर्देश-2013-14/1879/ वाणिज्य कर दिनांक 20.11.2013 , कम्प्यूटर परिपत्र संख्या 1314083 दिनांक 20.11.2013

(5) पत्र संख्या-स0द0-ई-संचरण नंबर निर्देश -2013-14 / 2081 / वाणिज्य कर दिनांक 13, दिसम्बर , 2013 कमप्यूटर परिपत्र सं0 1314098 दिनांक 14.12.2013

(6) पत्र सं0-सचलदल-विशिष्ट संचरण नंबर निर्देश - 2013-14 / 2129 / वाणिज्य कर , कम्प्यूटर परिपत्र सं0-1314102 दिनांक 19.12.2013

(7) पत्र सं0-सचलदल-विशिष्ट संचरण नंबर निर्देश - 2013-14 / 2612 / वाणिज्य कर , कम्प्यूटर परिपत्र सं0-1314129 दिनांक 19.02.2014

(8) पत्र सं0-सचलदल-विशिष्ट संचरण नम्बर निर्देश-2014-15/ 08 / वाणिज्य कर दिनांक 04.04.2014 , कम्प्यूटर परिपत्र संख्या 1415001 दिनांक 04.04.2014

(9) पत्र सं0-सचलदल-विशिष्ट संचरण नम्बर निर्देश-2014-15/585/ वाणिज्य कर दिनांक 17.06.2014 , कम्प्यूटर परिपत्र संख्या 1415030 दिनांक 17.06.2014

(10) पत्र सं0-सचलदल-विशिष्ट संचरण नम्बर निर्देश-2014-15/631/ वाणिज्य कर दिनांक 19.06.2014 , कम्प्यूटर परिपत्र संख्या 1415033 दिनांक 19.06.2014

उपर्युक्त परिपत्रों के द्वारा जो निर्देश निर्गत किए गए हैं , तथा इनमें जो संशोधन हुए हैं उनको समाहित करते हुए जो निर्देश ई-संचरण के संबंध में वर्तमान में लागू हैं ,उन्हें सकलित रूप में निम्नवत् निर्गत किया जाता है -

1- उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 की धारा 50(1) के परन्तुक तथा उपधारा 50(3-A) के प्रयोजनार्थ प्रविष्टियाँ वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट http://comtax.up.nic.in पर की जायेंगी।

2- **"विशिष्ट संचरण नम्बर"** प्रश्नगत माल के वाहन सहित उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने से पहले आयातकर्ता व्यापारी द्वारा जेनरेट किया जाएगा तथा इस नम्बर का sms जो सिस्टम से प्राप्त होगा उसे वाहन चालक/ट्रांसपोर्टर को फॉरवर्ड (forward) किया जाएगा। वाहन चालक द्वारा इस sms को प्रदेश में एन्ट्री से लेकर माल के गन्तव्य तक अपने साथ रखा जाएगा। माल का परिवहन **"विशिष्ट संचरण नम्बर" की हार्ड कापी को साथ लेकर भी किया जा सकता है।**

3- सर्वप्रथम व्यापारी को उक्त विभागीय वेबसाइट पर अपना मोबाइल नम्बर को रजिस्टर कराना होगा। इसके लिए उक्त विभागीय वेबसाइट पर अपना टिन नम्बर , नाम व पता , ई-मेल आई डी तथा इस व्यवस्था हेतु ऐसी व्यापारिक वस्तुओं के लिए जिनके संबंध में वह प्रदत्त विभागीय प्रान्तीय पंजीयन द्वारा अधिकृत है , का उल्लेख इनके सम्मुख वर्णित कोड सहित करना होगा। 25 प्रारम्भ से चयनित वस्तुओं के लिए प्रस्तर 20 के अनुसार वर्णित विशिष्ट अवधारित कोड तथा अन्य वस्तुओं के लिए Others का कोड अंकित करते हुए वस्तु का उल्लेख करना होगा। ऐसा करते ही मोबाइल नम्बर रजिस्टर हो जाएगा। यह कार्य केवल एक बार ही किया जाएगा।

4- ई-संचरण की उपर्युक्त व्यवस्था सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए लागू कर दी गयी है। ई-संचरण की व्यवस्था को अपनाने वाले व्यापारी के लिए विभाग से डाउनलोडिड फार्म अथवा छपा हुआ फार्म प्राप्त करने का विकल्प नहीं होगा।

5- व्यापारी अपने एक से अधिक मोबाइल भी उक्त परिप्रेक्ष्य में रजिस्टर करा सकते हैं।

6- व्यापारी द्वारा वेबसाइट पर मोबाइल रजिस्टर कराने के बाद पासवर्ड हेतु प्रिंट आउट की प्रति व्यापारी सुविधा केन्द्र में प्रस्तुत की जाएगी **जहाँ इसकी पावती रसीद उन्हें प्रदान की जाएगी।** व्यापारी सुविधा केन्द्र से यह प्रिंट आउट की प्रति उसी दिन संबंधित कर निर्धारण कार्यालय में प्रेषित की जाएगी।

7- प्रश्नगत व्यापारी द्वारा उक्त प्रिंट आउट के प्रस्तुत करने के अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सॉफ्टवेयर में अनुमोदन किया जाएगा जिसके बाद व्यापारी के ई-मेल आई डी पर तथा मोबाइल नम्बर पर तत्काल पासवर्ड sms हो जाएगा। पासवर्ड गोपनीय रहेगा , अत: आवश्यक है कि व्यापारी अपना ई-मेल आई डी तथा मोबाइल नम्बर अंकित करेंगे । इस प्रकार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी । यह प्रक्रिया केवल एक बार ही की जाएगी ।

8- प्रत्येक टिन के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई डी पृथक-पृथक रखना आवश्यक है अर्थात एक मोबाइल नम्बर तथा एक ई-मेल आई डी एक से अधिक टिन नम्बर के लिए प्रयोग नहीं की जाएगी ।

9- उक्त के पश्चात व्यापारी द्वारा वेबसाइट पर रजिस्टर किए गए ई-मेल आई0डी0 तथा मोबाइल नम्बर पर प्रेषित किए गए पासवर्ड के माध्यम से लाग आन किया जायेगा । इसके पश्चात व्यापारी द्वारा **"विशिष्ट संचरण नम्बर"** जैनरेट करने हेतु उपलब्ध विवरण एन्ट्री स्क्रीन पर भरा जाएगा । व्यापारी द्वारा विक्रेता से संबंधित सूचना अंकित करने के पश्चात डाटा को save किया जा सकता है । save करने पर व्यापारी को टोकन नम्बर प्राप्त हो जाएगा । इस टोकन नम्बर को व्यापारी अपने विक्रेता या ट्रांसपोर्टर को भी दे सकते हैं तथा यदि वह चाहें तो स्वयं ही विक्रेता /ट्रांसपोर्टर से समस्त विवरण प्राप्त करते हुए अग्रेतर अन्य विवरण भर सकते हैं । इस प्रकार एक विशिष्ट (specific) संव्यवहार के लिए आयातकर्ता व्यापारी यदि स्वयं माल से संबंधित समस्त विवरण भरना चाहते हें तो ऐसा वह स्वयं कर सकते हैं और यदि वह चाहें तो इस specific संव्यवहार के लिए जैनरेट किए गए टोकन नम्बर को अपने विक्रेता व्यापारी या ट्रांसपोर्टर को फारवर्ड करते हुए उन्हे संबंधित विवरण भरने के लिए अनुरोध कर सकते हैं । यह सुनिश्चित करना आयातकर्ता व्यापारी का ही दायित्व होगा कि प्रश्नगत आयात से संबंधित समस्त विवरण सही-सही भरे जायें ।

10- इस टोकन नम्बर को व्यापारी अपने विक्रेता या ट्रांसपोर्टर को भी दे सकते हैं तथा यदि वह चाहें तो स्वयं ही विक्रेता / ट्रांसपोर्टर से समस्त विवरण प्राप्त करते हुए अग्रेतर अन्य विवरण भर सकते हैं । इस प्रकार एक विशिष्ट (specific) संव्यवहार के लिए आयातकर्ता व्यापारी यदि स्वयं माल से संबंधित समस्त विवरण भरना चाहते हें तो ऐसा वह स्वयं कर सकते हैं और यदि वह चाहें तो इस specific संव्यवहार के लिए जैनरेट किए गए टोकन नम्बर को अपने विक्रेता व्यापारी या ट्रांसपोर्टर को फारवर्ड करते हुए उन्हे संबंधित विवरण भरने के लिए अनुरोध कर सकते हैं । यह सुनिश्चित करना आयातकर्ता व्यापारी का ही दायित्व होगा कि प्रश्नगत आयात से संबंधित समस्त विवरण सही-सही भरे जायें ।समस्त विवरण को भरने के उपरान्त **"विशिष्ट संचरण नम्बर"** जैनरेट हो जाएगा ।

11- आन लाइन फार्म-XXXVIII में व्यापारी द्वारा निम्न विवरणों का भरना अनिवार्य होगा -

(1) अपना टिन नम्बर

(2) वस्तु का नाम

(3) परिमाण

(4) वजन

(5) मूल्य अंकों में

(6) मूल्य शब्दों में

(7) बिल/कैशमीमो/ इन्वाइस / चालान नम्बर व दिनांक

(8) गन्तव्य स्थान

(9) विक्रेता / कन्साइनर का नाम व पता

(10) विक्रेता का टिन नम्बर (यदि विक्रेता अपंजीकृत है तो उसके टिन के समक्ष 09000000000 की प्रविष्टि की जाएगी)

(11) वाहन संख्या

12- **"विशिष्ट संचरण नम्बर"** को जेनरेट करने के लिए अपेक्षित विवरणों को अपलोड करने के बाद "Save" बटन पर किलक करने के पश्चात् "Save Finally" की सुविधा उपलब्ध है । **"विशिष्ट संचरण नम्बर"** जेनरेट करने में होने वाली संभावित त्रुटियों को समाप्त करने हेतु "Save Finally" के पूर्व "Print Preview" की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है , ताकि उक्त परिप्रेक्ष्य में "Save Finally" के पूर्व पूर्व में की गयी प्रविष्टियों को अवलोकित किया जा सके जिससे त्रुटि होने की संभावना न रहे ।

13-**"विशिष्ट संचरण नम्बर"** जेनरेट करने के पश्चात एक बार आन लाइन जेनरेटिड फार्म-XXXVIII के "Print" की सुविधा उपलब्ध है । कतिपय कारणों से "Print" न निकाल पाने की स्थिति में यह व्यवस्था की जाती है कि **"विशिष्ट संचरण नम्बर"** अंकित करते हुए आन लाइन जेनरेटिड फार्म-XXXVIII "Re-print" किया जा सकेगा ।

14-ई-संचरण की व्यवस्था में आन लाइन जेनरेटिड फार्म-XXXVIII पर क्रेता / विक्रेता के हस्ताक्षर की अपरिहार्यता नहीं होगी । साथ ही इस आशय का उल्लेख भी स्वत: ही जेनरेट होगा कि -

" This " Vishishta Sancharan Number" / Form XXXVIII is online generated and as such does not require any signature of the importer/seller "

15- आनलाइन जेनरेटिड फार्म-XXXVIII पर संबंधित टोकन नम्बर की प्रास्थिति सुलभता से ज्ञात हो सके इसके लिए यह व्यवस्था की जाती है कि ई-संचरण व्यवस्था में जेनरेटिड फार्म-XXXVIII पर **"विशिष्ट संचरण नम्बर"** के पास में टोकन नम्बर भी ब्रैकेट (Bracket) में अंकित रहेगा ।

16- **विशिष्ट संचरण नम्बर** से संबंधित sms या **विशिष्ट संचरण नम्बर** की प्रिटिड कापी , दोनों में से कोई भी, प्रश्नगत माल के प्रदेश की सीमा में प्रवेश के समय से लेकर ऐसे माल के गन्तव्य

पर पहुंचने तक साथ रखना अनिवार्य होगा। **विशिष्ट संचरण नम्बर** को प्रिंट करने की व्यवस्था कर दी गयी है। इसे आयातकर्ता व्यापारी द्वारा स्वयं अथवा यदि उसके द्वारा टोकन नम्बर संबंधित विक्रेता/ट्रांसपोर्टर को प्रेषित कर दिया गया है, तो ऐसे विक्रेता या ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रिंट किया जा सकता है।आयातकर्ता व्यापारी द्वारा भी इसका स्वयं प्रिंट आउट लेकर अपने संबंधित ट्रांसपोर्टर को इसे प्रेषित किया जा सकता है।

17- रु0 100 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नोवर वाले व्यापारी अपनी ब्रांचों के लिए भी Sub-user Password के लिए भी आन लाइन पंजीयन के समय विभागीय वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे व्यापारी विभागीय डेटाबेस में उपलब्ध ब्रांचेज / वेयरहाउस के अनुरूप Sub-user Password हेतु आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन ई-संचरण हेतु मोबाइल नम्बर रजिस्टर कराने के कार्य के साथ ही विभागीय वेबसाइट पर किया जाएगा। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसका एप्रूवल मोबाइल रजिस्टर करते समय ही कर दिया जाएगा। इसके पश्चात संबंधित व्यापारी द्वारा विभाग द्वारा दिए गए पासवर्ड से लाग इन करने पर Sub-user Creation के लिंक पर क्लिक किया जाएगा जिससे व्यापारी द्वारा संबंधित शाखाओं के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई- मेल आई डी को अंकित करते हुए Sub-user create किया जाएगा। Sub-user से संबंधित पासवर्ड उक्त मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई डी पर प्रेषित किया जाएगा। Sub-user निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयात हेतु संचरण नम्बर जैनरेट कर सकेगा, जो व्यापारी के एकाउण्ट में प्रदर्शित होगा।

18-यदि किसी एक विक्रेता से किसी व्यापारी द्वारा Bulk Purchase की जा रही है, तब ऐसा आयातकर्ता व्यापारी जैसे ही उस विक्रेता व्यापारी के नाम की प्रविष्टि सहित अपेक्षित फार्म-38 की संख्या का उल्लेख करेगा तो उसे उतने ही टोकन उस विक्रेता से की जाने वाली खरीद के लिए जैनरेट हो जायेंगे और वह तदनुसार इनसे Bulk Purchase कर सकेगा। प्रत्येक डिमाण्ड पर अधिकतम 100 टोकन जैनरेट किए जा सकेंगे जिसकी वैधता टोकन जैनरेट करने के दिनांक से अधिकतम 30 दिन तक होगी। जिस टोकन का 30 दिन की अवधि में उपयोग नहीं होगा, वह स्वयमेव निष्प्रयोज्य हो जाएगा।

ई-संचरण की उक्त व्यवस्था हेतु Bulk Purchase का अभिप्राय ऐसी खरीद से होगा जो एक बिल/ इन्वाइस से की गयी हो अथवा देश के बाहर से इम्पोर्ट की स्थिति में एक बिल आफ एन्ट्री से की गयी हो तथा इससे आच्छादित माल को अग्रेतर अनेक वाहनों से गन्तव्य तक प्रेषित किया जाना हो।

19- Bulk purchase के संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जब ऐसी खरीद देश के बाहर से बिल आफ एन्ट्री द्वारा अथवा बिल/इन्वाइस से रेलवे द्वारा आयात करते हुए अग्रेतर विभिन्न वाहनों से गन्तव्य के लिए परिवहित की जानी हो, उस स्थिति में विभागीय वेबसाइट पर जाकर पहले प्रश्नगत बिल आफ एन्ट्री अथवा बिल/इनवाइस / आर.आर. जैसी भी स्थिति हो, उसका उल्लेख

संबंधित माल के कुल परिमाण सहित संबंधित व्यापारी को करना होगा। तत्पश्चात मल्टीपिल वाहनों के विकल्प में अपेक्षित वाहनों की संख्या का उल्लेख किया जाएगा। इसके पश्चात जिस वाहन से जिस भी परिमाण का माल परिवहित किया जाना है, उस परिमाण का उल्लेख किया जाएगा। इस प्रकार उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक वाहन के लिए पृथक-पृथक विशिष्ट संचरण नम्बर जैनरेट हो जायेंगे जिससे ऐसे माल का परिवहन किया जाएगा।

20-"**विशिष्ट संचरण नम्बर**" की व्यवस्था हेतु वस्तुओं के कोड निम्नवत् होंगे -

क्र0सं0	वस्तु का नाम	कोड संख्या
1	रिफाइन्ड आयल, वनस्पति, पाम आयल एवं अन्य खाद्य तेल	001
2	मेंथा आयल / डीमैंथॉलाइज्ड आयल (डी0एम0ओ0) / मेंथाल	002
3	किराना, कत्था एवं सुपाड़ी	003
4	कोयला	004
5	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-14 में परिभाषित लोहा एवं इस्पात	005
6	पान मसाला	006
7	सीमेंट	007
8	खाद्यान्न, तिलहन एवं दलहन	008
9	दवाइयाँ	009
10	सभी प्रकार के साबुन एवं डिटर्जेन्ट	010
11	सभी प्रकार का बिजली का सामान	011
12	सभी प्रकार की इलैक्ट्रोनिक वस्तुयें	012
13	सभी प्रकार के कास्मेटिक्स	013
14	सभी प्रकार की रासायनिक खाद	014
15	बिस्कुट एवं कन्फैक्शनरी	015
16	मशीनरी एवं मशीनरी पार्ट्स	016
17	सभी प्रकार के केमीकल्स	017
18	सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स एवं सॉफ्ट ड्रिंक्स	018
19	वुड एवं टिम्बर	019
20	पेन्ट एवं वार्निश	020
21	सभी प्रकार के टायर ट्यूब	021
22	मोटर व्हीकल्स (दुपहिया तथा चारपहिया वाहन) एव इनके पार्ट्स	022
23	साइकिल तथा साइकिल पार्ट्स	023
24	लुब्रीक्रेन्ट्स	024
25	पेपर	025
26	अन्य वस्तुयें (Other Goods)	026

21- "ई-संचरण" की व्यवस्था में आयरन एण्ड स्टील तथा रिफाइन्ड आयल/ वनस्पति घी का आयात करने वाले व्यापारियों को बिना नकद जमानत जमा कराए ही "विशिष्ट संचरण नम्बर" जैनरेट करते हुए इन वस्तुओं का आयात करने की सुविधा अनुमन्य की गयी है।

22-यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि आयरन एण्ड स्टील, रिफाइन्ड आयल तथा वनस्पति घी के आयात के संबंध में अग्रिम जमानत से छूट की सुविधा केवल **"ई-संचरण"** व्यवस्था में ही अनुमन्य की गयी है।**"ई-संचरण"** की व्यवस्था न अपनाए जाने की दशा में संबंधित व्यापारियों को पूर्व की भाँति ही अग्रिम जमानत देते हुए उक्त माल का आयात करने की अनुमन्यता होगी।

23-पैरा-22 में वर्णित सभी वस्तुओं के लिए फार्म - XXXVIII विभागीय वेबसाइट से उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप डाउनलोड किया जा सकेगा तथा पूर्व में उपरोक्त वर्णित वस्तुओं में से जिन संवेदनशील वस्तुओं के लिए फार्म-38 डाउनलोड न करने के संबंध में पत्र सं0 -चेकपोस्ट-फार्म-38 व्यवस्था/0910045/ वाणिज्य कर दिनांक 28 अगस्त, 2009, पत्र सं0 - फार्म / सचलदल अनुभाग - फार्म-38 व्यवस्था /2011-12 / 1112014 / 26 / वाणिज्य कर दिनांक 04 मई, 2011, पत्र संख्या-विविध / फार्म-38व्यवस्था/2011-12//103/1112050/ वाणिज्य कर दिनांक 23 अगस्त, 2011 तथा पत्र संख्या- विधि-4(1)(10-11)-परिपत्र भाग-3/328 / 1213018 / वाणिज्य कर दिनांक 28 मई,2012 निर्देश निर्गत किए गए थे,वह ई-संचरण की इस व्यवस्था में निरस्त करदिए गए हैं।

24- कोयले के लिए यूनीक नम्बर जैनरेट करने से पूर्व व्यापारी द्वारा संबंधित एडवान्स टैक्स की राशि बैंक में नैट बैंकिंग द्वारा अथवा चालान के माध्यम से जमा की जाएगी। इसके पश्चात यूनीक कोड हेतु दिए गए यूज़र आई डी से लाग इन करके संबंधित चालान नम्बर ,चालान दिनांक , बैंक का नाम तथा धनराशि अंकित की जाएगी। इसके पश्चात अंकित किए गए विवरण का प्रिट आउट निकालकर मूल चालान के साथ कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लाग इन करके व्यापारी द्वारा जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष कोयले की उस मात्रा का अंकन **अधिकतम तीन दिन में** कर दिया जाएगा जिस सीमा तक फार्म-XXXVIII इस संबंध में डाउनलोड किये जा सकेंगे। इसके पश्चात व्यापारी द्वारा इस निर्धारित मात्रा तक फार्म- XXXVIII डाउनलोड लिए जा सकेंगे तथा उनके संबंध में यूनीक नम्बर जैनरेट किया जा सकेगा। इस निर्धारित मात्रा तक आयात हेतु फार्म- XXXVIII डाउनलोड करने तथा यूनीक नम्बर जैनरेट करने के पश्चात अग्रेतर आयात हेतु पुनः संबंधित व्यापारीद्वारा उक्त प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही करनी होगी।

25-ई-संचरण की नई अवधारित व्यवस्था में कोयले के आयात के संबंध में जमानत की उपर्युक्त प्रस्तर की व्यवस्था ईधन (फ्यूल) हेतु कोयले का प्रयोग करने वाले निर्माता पंजीकृत व्यापारियों से पृथक व्यापारियों के लिए ही लागू होगी।

26-ईधन (फ्यूल) हेतु कोयले का प्रयोग करने वाले निर्माता पंजीकृत व्यापारियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अपने संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष ई-संचरण की नई व्यवस्था के लिए

बिना जमानत कोयला आयात करने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे और इस प्रार्थना पत्र पर संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के स्वीकृति आदेश के उपरान्त कोयले का आयात इस नई व्यवस्था में कर सकेंगे। संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के स्वीकृति आदेश प्राप्त करने की यह कार्यवाही **केवल एक बार** ही करनी होगी। कर निर्धारण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर स्वीकृति आदेश अधिकतम तीन कार्यदिवस में करना सुनिश्चित करेंगे तथा तद्नुसार ई-संचरण साफ्टवेयर के माध्यम से अनुमति (Allow) दे देंगे।

27-सीमेंट के व्यापारियों द्वारा यह कठिनाई व्यक्त की गयी है कि उनके द्वारा रेक से जो माल प्रान्त बाहर से आयात किया जाता है, वह रेलवे साइडिंग पर आता है जहाँ कोई आन लाइन अपेक्षित व्यवस्था किया जाना संभव नहीं होता है। ऐसे माल का अग्रेतर परिवहन उन डिपो के लिए किया जाता है, जहाँ पर अधिकांशत: आन लाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में आन लाइन जेनरेटिड टोकनों के विरुद्ध विशिष्ट संचरण नम्बर जेनरेट करना संभव नहीं हो पा रहा है। अत: इस कठिनाई का निवारण करने हेतु यह व्यवस्था की जाती है कि सीमेंट के व्यापारियों द्वारा रेक के माध्यम से जो सीमेंट आयात किया जाता है तथा ऐसे संकलित आयात के संबंध में ई-संचरण की व्यवस्था में अवधारित प्रक्रिया के अनुसार **"विशिष्ट संचरण नम्बर"** जेनरेट करते हुए प्रान्त में उसकी अगर डिलीवरी ले ली जाती है, तब ऐसे आयातकर्ता व्यापारी को इस प्रकार जेनरेटिड **"विशिष्ट संचरण नम्बर"** की सूचना उक्तानुसार आन लाइन जेनरेटिड फार्म-XXXVIII की हार्ड कापी सहित माल की प्रान्त में डिलीवरी लेने की घोषणा के साथ अपने कर निर्धारण अधिकारी तथा उस अधिक्षेत्र के कर निर्धारण अधिकारी को देनी होगी जिसके अधिक्षेत्र में ऐसे सीमेंट की डिलीवरी ली गयी है। इसके पश्चात ऐसा सीमेंट आयातक व्यापारी प्रश्नगत सीमेंट को अपने चालान से अग्रेतर वर्तमान विद्यमान व्यवस्था के अनुरूप फार्म-21 प्रयोग करते हुए परिवहन कर सकेगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त प्रत्येक चालान पर संबंधित रेक से आयातित सीमेंट के लिए उक्तानुसार जेनरेटिड **"विशिष्ट संचरण नम्बर"** का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। रेक से आयातित समस्त माल के परिवहन के उपरान्त ऐसा आयातक व्यापारी परिवहित माल के परिप्रेक्ष्य में जेनरेटिड विशिष्ट संचरण नम्बर के विरुद्ध प्रयुक्त चालानों /बिलों से परिवहित माल के परिमाण के विवरण आन लाइन ही अपलोड करेगा।

28- जहां पर प्रदेश के बाहर से एक ही वाहन में कई **"विशिष्ट संचरण नम्बर"** से संबंधित माल का परिवहन किया जाना है, ऐसे सभी संव्यवहारों के संबंध में **"विशिष्ट संचरण नम्बर"** जेनरेट करने की कार्यवाही दो भागों में की जाएगी। पहले भाग में प्रश्नगत आयात किए जाने वाले माल की खरीद के विवरण की आन लाइन एन्ट्री करनी होगी। ऐसे विवरणों की प्रविष्टि करते ही 14 डिजिट का एक **"अन्तरिम नम्बर"** जनरेट हो जाएगा। व्यापारी इस **"अन्तरिम नम्बर"** को संबंधित ट्रांसपोर्टर को भी दे सकता है। ऐसा ट्रांसपोर्टर जब ऐसे माल को संबंधित क्रेता को प्रेषण किए जाने के लिए वाहन में लोड करने की स्थिति में होता है, तब वह ऐसे माल के उपर्युक्त

"**अन्तरिम नम्बरों**" की एन्ट्री करते हुए इनके संबंध में केवल उस वाहन संख्या की ऑन लाइन जैसे ही प्रविष्टि करेगा तब ऐसे समस्त यूनीक नम्बरों के लिए "**विशिष्ट संचरण नम्बर**" स्वत: ही जेनरेट हो जायेंगे , जिनके साथ प्रश्नगत माल का आयात प्रदेश में किया जा सकेगा। **यह पुन: स्पष्ट किया जाता है कि प्रदेश में आयात के लिए इन विशिष्ट संचरण नम्बरों की अपरिहार्यता पूर्ववत होगी।**

29- पैरा-28 में वर्णित व्यवस्था के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्तानुसार जेनरेट किये गये विशिष्ट संचरण नम्बर की वैधता की अवधि की गणना विशिष्ट संचरण नम्बर के जेनरेशन के दिनांक से आंकलित की जायेगी ।

30-यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन आयातकर्ताओं को फुल ट्रक लोड कन्साइन्मेन्ट तथा आंशिक ट्रक लोड कन्साइन्मेन्ट के Option में जाकर जिस प्रकार का आयात करना है , उसका चयन करना होगा। फुल लोड ट्रक के संबंध में पूर्व प्रस्तरों में जो व्यवस्था अवधारित की गयी है , वह आंशिक ट्रक लोड कन्साइन्मेन्ट यथा- परचून से संबंधित माल तथा विभिन्न स्थलों से माल को संग्रहित करते हुए इसके आयात के संबंध में भी लागू होगी। फुल लोड ट्रक कन्साइन्मेन्ट के आयात के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में प्रचलित व्यवस्था तद्नुसार लागू रहेगी।

31-ई-संचरण व्यवस्था में वाहन पल्टी के संबंध में यह व्यवस्था की जाती है कि प्रिन्टेड फार्म -XXXVIII के आयात के संबंध में वाहन के परिवर्तित होने की दशा में जो वर्तमान प्रक्रिया प्रचलित है, उसे ई-संचरण व्यवस्था से जेनरेटिड फार्म-XXXVIII के संबंध में भी लागू किया जाता है। इसके लिए "**विशिष्ट संचरण नम्बर**" जनरेट होने के उपरान्त ऐसे आन लाइन जेनरेटिड फार्म-XXXVIII की हार्डकापी पर प्रिन्टेड फार्म -XXXVIII की तरह आयातकर्ता द्वारा परिवर्तित वाहन से संबंधित प्रविष्टि की जायेंगी और माल के साथ रखे जाने वाले प्रपत्रों में मूल वाहन से आयात किये जाने से संबंधित जी0आर0 आदि के साथ -साथ पल्टी से संबंधित प्रपत्र भी रखते हुए अग्रेतर परिवहन किया जाएगा तथा यह युक्तिसंगत कारण भी इन प्रपत्रों में रखे जायेंगे जिनके फलस्वरूप वाहन पल्टी किया गया। जांच अधिकारी उपर्युक्त तथ्यों के संतोषजनक स्थिति में ऐसे आयात के संबंध में युक्तियुक्त निर्णय लेंगे।

32-प्रान्त बाहर से आयात किए जाने के संबंध में ई-संचरण की व्यवस्था में जेनरेट किए गए "**विशिष्ट संचरण नम्बर**" की वैधता की अवधि निम्न तालिका के अनुसार रहेगी। कार्यालय से प्राप्त सिक्योरिटी फीचर्स वाले फार्म - XXXVIII के संबंध में वैधता अवधि पूर्ववत रहेगी।

(क) सड़क मार्ग से आयात किए जाने की स्थिति में :

क्र0सं0	माल के मूवमेंट आरम्भ होने के स्थान से गन्तव्य तक की दूरी	संगत आयात के लिए जैनरेटिड विशिष्ट संचरण नम्बर की वैधता की अवधि
1	0-100 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से एक दिन (24घंटे)

2	101-300 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 03 दिन
3	301-500 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 05 दिन
4	501-1000 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 10 दिन
5	1000 किमी0 से अधिक	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 20 दिन

(ख) रेलवे के माध्यम से माल के आयात करने की स्थिति में :

क्र0सं0	माल के मूवमेंट आरम्भ होने के स्थान से गन्तव्य तक की दूरी	संगत आयात के लिए जैनरेटिड विशिष्ट संचरण नम्बर की वैधता की अवधि
1	0-100 कि0मी0	माल के आयात हेतु जारी आर0आर0 (रेलवे रिसीट) की दिनांक से एक दिन (24घंटे)
2	101-500 कि0मी0	माल के आयात हेतु जारी आर0आर0 (रेलवे रिसीट) की दिनांक से 03 दिन
3	501-1000 कि0मी0	माल के आयात हेतु जारी आर0आर0 (रेलवे रिसीट) की दिनांक से 10 दिन
4-	1000 किमी0 से अधिक	माल के आयात हेतु जारी आर0आर0 (रेलवे रिसीट) की दिनांक से 20 दिन

(ग) देश के किसी स्थान से वायुयान के माध्यम से माल का आयात किए जाने की स्थिति में -

देश के किसी स्थान से माल के वायुयान से परिवहन हेतु बुक कराए जाने की दिनांक से **"विशिष्ट संचरण नम्बर"** की वैधता की अवधि अधिकतम **03 दिन की रहेगी।**

(घ) कोरियर के माध्यम से आयात किए जाने स्थिति में :

क्र0सं0	माल के मूवमेंट आरम्भ होने के स्थान से गन्तव्य तक की दूरी	संगत आयात के लिए जैनरेटिड विशिष्ट संचरण नम्बर की वैधता की अवधि
1	0-100 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के संबंध में प्रेषणकर्ता कोरियर द्वारा जारी डोकेट नम्बर की दिनांक से एक दिन (24घंटे)

2	101-500 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के संबंध में प्रेषणकर्ता कोरियर द्वारा जारी डोकेट नम्बर की दिनांक से 03 दिन
3	501 से 1000 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के संबंध में प्रेषणकर्ता कोरियर द्वारा जारी डोकेट नम्बर की दिनांक से 05 दिन
4	1000 कि0मी0 से अधिक	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के संबंध में प्रेषणकर्ता कोरियर द्वारा जारी डोकेट नम्बर की दिनांक से 07 दिन

(च) स्वयं अपने साथ माल का आयात किए जाने की स्थिति में :

क्र0सं0	माल के मूवमेंट आरम्भ होने के स्थान से गन्तव्य तक की दूरी	संगत आयात के लिए जैनरेटिड विशिष्ट संचरण नम्बर की वैधता की अवधि
1	0-100 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से एक दिन (24घंटे)
2	101-500 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 03 दिन
3	501-1000 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 05 दिन
4	1000 किमी0 से अधिक	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 07 दिन

(छ) व्हीकल का स्वयं ही आयात किए जाने की स्थिति में -

क्र0सं0	माल के मूवमेंट आरम्भ होने के स्थान से गन्तव्य तक की दूरी	संगत आयात के लिए जैनरेटिड विशिष्ट संचरण नम्बर की वैधता की अवधि
1	0-100 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से एक दिन (24घंटे)
2	101-500 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 03 दिन
3	501-1000 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 05 दिन
4	1000 किमी0 से अधिक	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 07 दिन

33- यदि किसी अपरिहार्यता के परिणामस्वरूप किसी स्लैब की उपर्युक्तानुसार वर्णित समयावधि प्रदेश की सीमा में प्रवेश के पूर्व ही समाप्त हो जाती है अथवा प्रदेश की सीमा में पहुँचने के बाद अवशेष अवधि इतनी नहीं रह जाती है कि प्रश्नगत माल उस अवशेष अवधि में प्रदेश के गन्तव्य में

पहुँचना संभव हो , तो इन परिस्थितियों में ऐसा परिवहनकर्ता सीमा के सन्निकट क्षेत्र के ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) के समक्ष संबंधित कारणों के साक्ष्यों सहित समयावधि को बढ़ाए जाने हेतु प्रस्तुत करेगा , जिस सीमाक्षेत्र में एक से अधिक ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) तैनात हैं वहां यह प्रार्थना पत्र ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) संभाग-ए के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

34-ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा प्रार्थना पत्र के प्रस्तुतीकरण के अनुवर्ती दिन तक प्रत्येक दशा में ऐसे प्रकरण में समयावधि बढ़ाने हेतु कारण सहित आदेश निर्गत किया जाएगा जिसकी प्रति आवेदनकर्ता / परिवहनकर्ता को प्राप्त कराई जाएगी । यदि कोई संबंधित ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) अवकाश पर है तो उसके अवकाश की अवधि में यह आदेश संबंधित एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-II (वि0अनु0शा0) द्वारा निर्गत किया जाएगा । संबंधित ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) उक्त परिप्रेक्ष्य में समयावधि बढ़ाए जाने के बिन्दु पर निर्णय लेते समय इस तथ्य का भी ध्यान रखेंगे कि प्रदेश की किसी भी सीमा से प्रदेश के किसी भी गन्तव्य तक पहुँचने में सामान्यतया अधिकतम 04 दिन का समय लगता है ।

35-यदि माल के आयात के दौरान प्रदेश की सीमा में प्रवेश के उपरान्त वाहन खराब होता है तो ऐसी अपरिहार्यता की स्थिति में संबंधित परिवहनकर्ता द्वारा वाहन बदलने के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र निकटस्थ वाणिज्य कर कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा , जिसके द्वारा परिवहनकर्ता के प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के उपरान्त तथा यथाआवश्यक वाहन का भौतिक सत्यापन कराने के उपरान्त युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाएगा ।

उपरोक्तानुसार उल्लेख किए गए प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य मण्डल कार्यालय की स्थिति में प्रभारी डिप्टी कमिश्नर तथा संभागीय कार्यालय की स्थिति में ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) होगा ।

36-जिन प्रकरणों में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम , 1956 की धारा 6(2) के प्राविधानों के अनुरूप Sale in transit का बिन्दु निहित है , उन मामलों में यदि प्रान्त में ही प्रथम तथा अंतिम क्रेता दोनों ही पंजीकृत हैं। तब माल का आयात इन दोनों में से किसी भी व्यापारी के फार्म- XXXVIII पर विधि अनुसार किया जा सकता है ।

37-देश के बाहर से माल के आयात करने की दशा में बिल आफ इन्ट्री के स्थान पर Custom Clearance की तिथि से ई-संचरण व्यवस्था में "विशिष्ट संचरण नम्बर " की वैधता की अवधि आंकलित की जाएगी ।

38- वायुयान से आयात किए जाने की दशा में इंगित कठिनाई के दृष्टिगत यह निर्णय लिया जाता है कि एयरपोर्ट से निकासी की तिथि से ही **"विशिष्ट संचरण नम्बर"** की वैधता की अवधि आंकलित की जाएगी । आयात कर्ता को उपर्युक्त निकासी की तिथियों के साक्ष्य माल के आयात के प्रपत्रों में रखना अनिवार्य होगा ।

39-उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 के शिड्यूल-I में वर्णित वस्तुओं से पृथक सभी अन्य करयोग्य वस्तुओं के संबंध में वर्तमान में लागू फार्म- XXXVIII के विभाग से फार्म जारीकरने की व्यवस्था यथावत जारी रहेगी।

40-यदि आयातित माल के गन्तव्य एक से अधिक हैं तो प्रत्येक गन्तव्य के लिए पृथक-पृथक **"विशिष्ट संचरण नम्बर"** उक्त प्रक्रिया के अनुसार जेनरेट किया जाएगा ।

41- प्रत्येक प्रान्त बाहर के विक्रेता के लिए प्रान्त के आयातक क्रेता द्वारा एक **"विशिष्ट संचरण नम्बर"** जेनरेट किया जाएगा अर्थात यदि प्रान्त बाहर के विक्रेता एक से अधिक हैं तो ऐसे सभी विक्रताओं के लिए उतने ही पृथक -पृथक विशिष्ट संचरण नम्बर ऐसे आयातक क्रेता को उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार जेनरेट करने होंगे।

42- यदि प्रान्त बाहर के एक ही विक्रेता के एक से अधिक बिल हैं , तो उनके लिए एक ही **"विंशिष्ट संचरण नम्बर"** आवश्यक होगा तथा इनकी प्रविष्टियाँ बिल /कैशमीमो / इन्वाइस / चालान नम्बर व दिनांक के आगे की जायेंगी।

43- यदि एक से अधिक विक्रेता के बिलों के माल का आयात किया जा रहा है तो प्रत्येक विक्रेता के संबंध में पृथक-पृथक विशिष्ट संचरण नम्बर उक्त प्रक्रिया के अनुसार जेनरेट किया जाएगा।

44-इस **"विशिष्ट संचरण नम्बर"** का जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुतीकरण , वाहन में लदे माल के संबंध में प्रपत्रों का प्रस्तुतीकरण समझा जाएगा। जाँच अधिकारी पंजीकृत मोबाइल नम्बर से इस **"विशिष्ट संचरण नम्बर "** का सत्यापन 9235512608 पर sms के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से करेंगे।

45-यदि इस अधिनियम की धारा -45 तथा धारा-48 में अधिकृत अधिकारी द्वारा अन्यथा कारणों से इनका उल्लेख करते हुए वाहन को डिटेन किया जाएगा , तब वाहन में लदे माल के संबंध में सभी प्रपत्र अर्थात बिल / बिल्टी आदि संबंधित अधिकारी को मूल रूप में जाँच हेतु प्रस्तुत किए जायेंगे, जिनके संबंध में जाँच अधिकारी द्वारा आवश्यक विधिसम्मत कार्यवाही निष्पादित की जाएगी।

46-<u>पायनियर डीलर्स के लिए ई-संचरण व्यवस्था में विशिष्ट सुविधायें :</u>

रु0 1000 करोड़ से अधिक की वार्षिक टर्नोवर वाली कम्पनियां तथा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के पी.एस.यू. (Public Sector Undertakings) जिन्हें अग्रेतर पाइनियर डीलर कहा जाएगा के लिए ई-संचरण की प्रणाली में निम्न विशिष्ट व्यवस्थायें की जाती हैं -

- पायनियर व्यापारियों के संबंध में यह व्यवस्था की जाती है कि विशिष्ट संचरण नम्बर जनरेट करते समय इसकी वैधता की तिथि संबंधित व्यापारी द्वारा अवधारित करते हुए अंकित की जाएगी। प्रतिबन्ध यह है कि यह तिथि इनवायस की तिथि से अधिकतम 30 दिन होगी।
- रु0 1000/- करोड़ से अधिक की वार्षिक टर्नोवर वाले व्यापारियों तथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के पी.एस.यू. (Public Sector Undertakings) के चिन्हीकरण के लिए कर निर्धारण

अधिकारियों के Log in पर विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जैसे ही पायनियर व्यापारी का चिन्हांकन किया जाएगा तुरन्त ही ऐसे व्यापारियों के Log in पर ही उपरोक्तानुसार विशिष्ट संचरण नम्बर की वैधता की तिथि अंकित करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी । संबंधित कर निर्धारण अधिकारी इस परिपत्र के निर्गत होने के दिनांक से अधिकतम 07 दिन के अन्दर उपरोक्त चिन्हीकरण की कार्यवाही पूर्ण करेंगे ।

- पायनियर डीलर के Log in पर आयात के क्रम में अधिकतम **दो बार** वाहन परिवर्तित करने का विकल्प उपलब्ध होगा । पायनियर डीलर द्वारा विशिष्ट संचरण नम्बर अंकित कर परिवर्तित वाहन संख्या अंकित की जायेगी तथा परिवर्तित वाहन संख्या के साथ फार्म का प्रिन्ट आउट भी उपलब्ध होगा ।
- यदि पायनियर डीलर द्वारा बल्क टोकन प्रेषित किये जाने के पश्चात विक्रेता व्यापारी के साथ भविष्य में संव्यवहार न किये जाने का निर्णय लिया जाता है अथवा कुछ टोकन किन्ही कारणवश अप्रयुक्त रह जाते है तो ऐसी स्थिति में पायनियर डीलर द्वारा अपने Log in से जाकर बिना किसी भी रूप में प्रयोग किये गये संबंधित टोकन कैन्सिल किये जा सकते हैं । इसके लिए पायनियर डीलर द्वारा ऐसे टोकन नंम्बर को वेबसाइट पर "Block" करने के विकल्प को क्लिक करना होगा । ऐसा करते ही प्रश्नगत टोकन तात्कालिक प्रभाव से विशिष्ट संचरण नम्बर जनरेट करने हेतु निष्प्रयोज्य हो जायेंगे । इस प्रकार कैंसिल / निष्प्रयोज्य किए गए टोकन से संबंधित रिपोर्ट कर निर्धारण अधिकारी के Log in पर उपलब्ध हो जाएगी ।

उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

28.7.2011

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) माननीय अध्यक्ष,उ0प्र0 राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उ0प्र0 शासन ,लखनऊ ।
(2)प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।
(3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
(4) सँयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)
(5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0 ।
(6) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
(7) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ ।
(8) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश ।
(9) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश ।
(10) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0/स0द0) वाणिज्य कर,,उत्तर प्रदेश ।

(11) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ।

(12) महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ ।

(13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।

(14) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।

(15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश।

(16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मांर्ग, इलाहाबाद।

(17) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंगं जोन,सेक्टर 10 नोयडा।

(18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद।

(19) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।

(20) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियॉं में।

(21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।

(22) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।

(23) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी ,बांसमण्डी, लखनऊ।

(24) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ।

(25) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष,समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) उ0प्र0।

(26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।

(27) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुंज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ।

(28) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।

(29) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ।

(30) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।

(31) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ।

(32) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।

(33) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ।

(34) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।

(35) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ।

(36) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से।

(37) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली।

(38) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद।

(39) श्री शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली,मुजफ्फरनगर।

(40) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।

(41) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।

(42) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।

(43) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।

(44) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी।

(45) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1,कुंजगली,चौक,वाराणसी।

(46) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा।

(47) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।

(48) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।

(49) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।

(50) श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।

(51) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।

(52) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ

(53) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।

(54) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।

(55) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।

(56) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।

(57) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।

(58) श्री अरुण कुमार अवस्थी,प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल ,विधायकनिवास लखनऊ,

(59) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष , समाजवादी व्यापारी सभा , उ0प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।

(60) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ ।

(61) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।

(62) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।

(63) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवाला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।

(64) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।

(65) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)

(66) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, इलाहाबाद ।

(67) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूॅ, ।

(68) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।

(69) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।

(70) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट,लखनऊ ।

(71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0) ।

(72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।

(73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।

(74) अध्यक्ष , राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)

(75) अध्यक्ष, यू0पी0मोटर ट्रांसपोर्टस एसोसिएशन (रजि0) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर ।

(76) अध्यक्ष/सचिव, वेस्टर्न यू0पी0चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बाम्बे बाजार , मेरठ ।

(77) अध्यक्ष / महासचिव महानगर टैक्स बार ऐसोसिएशन (रजि0) गाजियाबाद

(78) प्रेसीडेन्ट/सचिव, यू0पी0शुगर मिल्स एसोसिएशन, 403, चिल्टेन हाउस, 16, स्टेशनरोड, लखनऊ ।

(79) श्री मुकुल गुप्ता, नेशनल वायस प्रेसीडेन्ट, आल इण्डिया फैडरेशन आफ टैक्स प्रैक्टीशनर्स ,आर - 13/24, राजनगर , गाजियाबाद ।

(80) कन्वीनर, टैक्स फोरम, रजत विहार , सेक्टर 62, नोएडा ।

(81) राष्ट्रीय अध्यक्ष,/ महामन्त्री, न्याय मंच-949, मल्हूपुरा, मुजफ्फरनगर ।

28.7.14

(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश , लखनऊ